

डिक्री वमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 536 / 2024.

1. सुमन पुत्री श्री मुखराम जाति कुम्हार(प्रजापती) निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सोना उर्फ सलोचना पुत्री श्री मुखराम जाति कुम्हार(प्रजापती) निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) - वादीगण

बनाम्

1. गुडडी उर्फ रामेश्वरी पत्नी श्री मुखराम जाति कुम्हार(प्रजापती) निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) प्रतिवादीगण
2. बहपीलदार(राजस्व) संगरिया।

यदि राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई सबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदर्ई श्री कुलदीप मण्ड मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि गुडडी देवी पत्नी मुखराम के नाम चक नं. 14 एमजेडी खाता सं. 18/42 जं.सं. 2070-2073 में दर्ज भूमि का वादीगण को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करने तथा इसी चक के खाता संख्या 118/42 में सोना पुत्री मुखराम के स्थान पर सोना उर्फ सलोचना पुत्री मुखराम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.2.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया